अ0शा0 परिपत्र संख्याः डीजी- 71 /2014

ए0एल0 बनर्जी,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांक :नवम्बर 24, 2014

विषयः- मा0 उच्च न्यायालय में योजित जमानती प्रार्थना पत्रों व रिट याचिकाओं में समय से प्रतिउत्तर दाखिल किये जाने हेतु संबंधित थानों के विवेचक द्वारा प्रस्तरवार आख्या तैयार किये जाने के उपरान्त जनपदीय संयुक्त निदेशक अभियोजन/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी से समीक्षा/संशोधन के पश्चात ही नोडल अधिकारी के माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय स्थित संयुक्त निदेशक अभियोजन/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी कार्यालय भिजवाने के संबंध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

यह तथ्य इस मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि जनपद स्तर पर विवेचक द्वारा प्रस्तरवार आख्या तैयार करके जब जनपदीय अभियोजन कार्यालय में प्रस्तुत की जाती है तो संबंधित अभियोजक द्वारा भली-भॉति परिशीलन नहीं किया जाता है, जिससे कतिपय विसंगतियॉ शेष रह जाती हैं। जबकि प्रस्तरवार आख्याओं की भली-भॉति समीक्षा जनपदीय अभियोजन कार्यालय में होनी चाहिए और उसके उपरान्त नोडल अधिकारी के माध्यम से ही संयुक्त निदेशक अभियोजन/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी मा0 उच्च न्यायालय को भेजी जानी चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन न होने से प्रस्तरवार आख्याओं में विसंगति पायी जा रही हैं एवं कई महत्वपूर्ण प्रकरण नोडल अधिकारी के संज्ञान में भी नहीं रहते हैं।

2- यह भी विदित हुआ है कि अपर निदेशक अभियोजन, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ पीठ में बड़ी संख्या में ऐसे प्रकरण हैं, जिनमें प्रस्तरवार आख्यायें निर्धारित समयावधि के उपरान्त प्राप्त हो रहे हैं तथा ऐसे भी प्रकरण हैं, जिनमें एक माह के उपरान्त भी आख्यायें नहीं प्राप्त हुई हैं। मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ के क्षेत्राधिकार वाले जनपदों की स्थिति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अन्तर्गत आने वाले जनपदों की तुलना में काफी खराब है। अभियोजन निदेशालय स्तर से कई ऐसे प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाते रहे हैं, जो सम्बन्धित न्यायालयों द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु अभियोजन निदेशालय को सन्दर्भित किये गये हैं। मा0 उच्च न्यायालय में स्थापित अभियोजन कार्यालय के प्रभारी तथा परिक्षेत्रीय अपर निदेशकों द्वारा सामान्य रूप से निम्नलिखित तथ्यों के बारे में जानकारी दी गयी हैः-

(1) प्रस्तरवार आख्या का अति सूक्ष्म होना तथा तथ्यपरक न होना।
(2) प्रस्तरवार आख्याओं का विलम्ब से प्राप्त होना।
(3) नोडल अधिकारियों द्वारा प्रस्तरवार आख्याओं को अग्रसारित न किया जाना।
(4) नोडल अधिकारियों/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों द्वारा नोटिस प्राप्त करने तथा प्रस्तरवार आख्या उपलब्ध कराने हेतु पैरोकार की व्यवस्था न किया जाना।

3- प्रश्नगत परिप्रेक्ष्य में अपर निदेशक, अभियोजन, उ0प्र0 के पत्र संख्याःपॉच-1-दो-2009(टीसी)/5829/2013 दिनांक 31.10.2014 जो समस्त अभियोजन निदेशक/संयुक्त निदेशक अभियोजन/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, उ0प्र0 व संयुक्त निदेशक, अभियोजन, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ को सम्बोधित है, में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि दिनांक 16.09.2010 को प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त में वर्णित निर्देशों के अनुसार विवेचक द्वारा प्रस्तुत आख्या को समुचित परीक्षण करने के उपरान्त नोडल अधिकारी अपनी टिप्पणी सहित अग्रसारित कर दें। समुचित रूप से परीक्षण के बिना अग्रसारित करने वाले अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी।

4- अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्देशों का भली-भॉति अध्ययन कर तद्नुसार अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(ए0एल0 बनर्जी)

1-समस्त जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक (नाम से),
उत्तर प्रदेश।
2-समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवेज,
उत्तर प्रदेश।(नाम से)

प्रतिलिपिः-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज/अभियोजन, उत्तर प्रदेश।
3. जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिशिचित करने हेतु प्रेषित।
4. परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
5. समस्त अपर निदेशक अभियोजन/संयुक्त निदेशक अभियोजन/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, उ0प्र0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संयुक्त निदेशक अभियोजन, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।